

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,
क्रमांक / 52-बी / सि.से.प्रो. / 2025-26 / ७०७। नवा रायपुर दिनांक ४/११/२०२५

//विज्ञप्ति //

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में सफलता प्राप्त करने वाले प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत् आवेदन पत्र का द्वितीय आमंत्रण

—००—

विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना (यथा संशोधित) वर्ष 2010 के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर राशि रूपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख मात्र) प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक २३.७.२०२५ तक आवेदन आमंत्रित हैं। पात्रता, शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लाक-डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छोगो में अंतिम तारीख तक जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र समय सीमा में रजिस्टर्ड डाक से भी उल्लेखित पते पर भेजा जा सकता है।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(के. विश्वनाथ रेड्डी)

उपायुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में सफल प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत् आवेदन पत्र

प्रति,

नवीनतम फोटो
चिपकाएं स्टेपल न
करें

आयुक्त,

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
ब्लाक-4, भू-तल, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़।

विषय :- संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में सफल प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत् आवेदन पत्र।

1. अभ्यर्थी का नाम –
2. जन्म तिथि – (अ) अंकों में
(ब) शब्दों में
3. आयु – वर्ष माह दिन
4. शैक्षणिक योग्यता –
5. वर्तमान पता –
6. स्थायी पता –

7. अभ्यर्थी का वर्तमान व्यवसाय एवं अभ्यर्थी की कुल वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें) –
8. पिता/अभिभावक का नाम –
9. माता का नाम –
10. पिता का व्यवसाय –
11. परिवार की कुल वार्षिक आय – (शपथ पत्र के प्रारूप में)
12. परीक्षा का नाम एवं वर्ष (अभिलेख संलग्न करें) (1) उत्तीर्ण परीक्षा –
(अ) प्रारंभिक परीक्षा – रोल नं.
(ब) मुख्य परीक्षा – रोल नं.
13. फोन नं./मोबाईल नं.–
14. ई-मेल –

// 2 //

15. परीक्षा की तैयारी हेतु केन्द्र/राज्य शासन की किसी योजनान्तर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण दें :—

क्रमांक	प्रशिक्षण योजना का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण में उपलब्ध कराई गई सुविधा	किस केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और किस वर्ष में
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

16. जाति — अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति

(✓) टिक करें

(आवेदक के छ.ग. में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में जाति/उपसमूह का नाम) अनु.जाति/जनजाति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थाई जाति प्रमाण—पत्र संलग्न करें।

17. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है — (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें) हॉ नहीं

18. आवेदक का आधार कार्ड नंबर — (छायाप्रति संलग्न करें)

19. प्रोत्साहन राशि जमा करने हेतु बैंक खाते का विवरण —

(iv) बैंक एवं शाखा का नाम —

(v) IFSC कोड —

(vi) बैंक खाता क्र. —

टीप :— बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें उपरोक्त जानकारी हो, छायाप्रति संलग्न करें।

घोषणा पत्र

मैं पिता/पालक—श्री/श्रीमती

निवासी उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। मैंने पूर्व में इस योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी संपूर्ण प्रोत्साहन राशि निरस्त कर यह राशि मुझसे भू—राजस्व के बकाया की भौति वसूली योग्य होगी तथा मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

स्थान —

दिनांक —

हस्ताक्षर

नाम —

पता —

पात्रता की शर्तें एवं संलग्न किए जाने वाले अभिलेख

1. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। (निवासी प्रमाण—पत्र संलग्न करें)
2. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
3. अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी के माता—पिता/पालक की समस्त स्त्रीतों से आय, आयकर की श्रेणी में नहीं आता है तथा आयकर दाता नहीं है, का 50 रु. के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
4. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का प्रमाण—पत्र या अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
5. अभ्यर्थी केन्द्र/राज्य शासन की योजना अंतर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण न लिया हो।
6. पूर्व में अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होकर इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त किया है, तो वह पात्र नहीं होगा।
7. आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक डी, भू—तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर ४००४० में जमा किया जाना होगा।

शपथ पत्र का प्रारूप

(50रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

(संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा वर्ष के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन पुरुस्कार हेतु)

- मैं पिता उम्र
- निवासी ग्राम वि.खं., जिला यह शपथ पूर्वक कथन करते हुए घोषणा करता हूँ कि :-
1. मैंने वर्ष के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त किया है। मेरा रोल नंबर है तथा आयोग द्वारा जारी अर्हता पत्र संलग्न है।
 2. यह कि मैं भारत शासन द्वारा ४०ग्रा० राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हूँ एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारक हूँ।
 3. यह कि मैं छ.ग. राज्य का मूल निवासी हूँ।
 4.
 - (i) यह कि मेरे पिता की (यदि शासा० सेवक है तो) आय
 - (ii) माता की (यदि शासकीय सेवक है तो) आय
 - (iii)पिता का, यदि अन्य व्यवसाय है, तो आय
 - (iv)परिवार की कृषि से आय
 - (v) आवेदक की आय

कुल आय (i,ii,iii,iv एवं v का योग) है।
 5. यह कि मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय रु. है तथा मैं एवं मेरे माता पिता आयकर दाता नहीं हैं।
 6. यह कि मेरे द्वारा पूर्व में इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
 7. यह कि मेरे द्वारा केन्द्र/राज्य शासन की योजनांतर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण/कोचिंग नहीं लिया गया है।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं.....उपरोक्त कंडिका 1 से 7 की जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्यापित करता हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

स्थान :-

दिनांक :-

सत्यापनकर्ता